तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
6/6/24	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली वास्ते विपक्षीगण को जवाब हेतु अंतिम अवसर दिया। जाकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 18/6/24 को पेश हो।	
8/6/24	पत्रावली पेश हुई। वादी वकील उप०/प्रतिवादीगण को ~~सम्मन~~ जवाब के अनेक अवसर देने बावजूद भी जवाब पेश नहीं किया अत: जवाब बन्द किया जाता है। वकील प्रार्थी ने बहस सुनने का निवेदन किया। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया गया, पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया जिससे प्रतीत होता है की प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है। अत: नेखमबंदी निर्णय अलग से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन सं 66/2024 अन्तर्गत धारा 111,128 एल.आर.एक्ट

रामलाल बनाम देराम वगैरा

पीठासीन अधिकारी –श्री विरेन्द्रसिंह भाटी आर.ए.एस
प्रार्थी वकील – श्री मांगीलाल जयपाल

निर्णय दिनांक –

प्रस्तुत प्रकरण में संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र मे कथन किया है कि **तहसील सेड़वा पटवार क्षेत्र फागलिया भू.अ.नि. क्षेत्र फागलिया के मौजा पांचरला के खेत खसरा संख्या 211/88 रकबा 2.2500 हैक्टर, खसरा संख्या 213/88 रकबा 0.1781 हैक्टर, खसरा संख्या 84 रकबा 4.1116 किस्म बारानी सोयम** स्थित है। प्रार्थी के खेत के पास विप्रार्थीगण उक्त खातेदारी भूमि के पडोसी है। जिनके खेत प्रार्थी के खेत के पडोस में स्थित होने के कारण बरसात के समय वक्त काश्त अक्सर विप्रार्थीगण सेढो को लेकर विवाद करते रहते है। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के मध्य सीमा को लेकर विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगड्डी पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते है। प्रार्थी ने पेमाईश एवं नेखमबन्दी करने का निवेदन किया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुए। लेकिन कोई उपस्थित नहीं हुआ, अतः उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। जिससे स्पष्ट होता है कि प्रार्थी के वक्त काश्त प्रार्थी व विप्रार्थीगण के मध्य सीमाओ को लेकर विवाद बना रहता है, इस कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमी की पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते है। प्रार्थी विवादित भूमि के खातेदार काश्तकार राजस्व रेकर्ड मे दर्ज होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया की जाकर वादग्रस्त भूमि **तहसील सेड़वा पटवार क्षेत्र फागलिया भू.अ.नि. क्षेत्र फागलिया के मौजा पांचरला के खेत खसरा संख्या 211/88 रकबा 2.2500 हैक्टर, खसरा संख्या 213/88 रकबा 0.1781 हैक्टर, खसरा संख्या 84 रकबा 4.1116 किस्म बारानी सोयम** की नेखमबन्दी करने का आदेश दिया जाता है। नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सेड़वा को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर को निर्देश दिये जाते है कि वो दोनो पक्षो के रूबरू किसी मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पैमाईश करे व भूमापक कर्ता को यह भी निर्देश दिये जाते है कि किसी सक्षम न्यायालय से स्थगन आदेश न हो तो वो दोनो पक्षो के रूबरू विवादित भूमि की मौके की स्थिति व कब्जे काश्त मे परिवर्तन किये बिना मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पेमाईश करे व नेखमबन्दी कर पालना रिपोर्ट पेश करे वक्त पेमाईश हल्का पटवारी को साथ रखे। नेखमबन्दी के दौरान किसी बिन्दु को लेकर विवाद की स्थिति हो तो नेखम स्थापित नहीं किये जावे और उसकी मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश करे। तहरीर जारी हो।

तहसीलदार सेड़वा को आदेश दिया जाता है कि वे प्रार्थी के खसरें की नेखमबन्दी विप्रार्थीगण की उपस्थिति में करावें एवं नेखमबन्दी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हो।

पत्रावली पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर पेश हो पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।
निर्णय आज दिनांक ....को न्यायालय के खुले परिसर में सुनाया गया।

18/6/24
(विरेन्द्रसिंह भाटी)
उपखण्ड अधिकारी
(सेड़वा)

उपखण्ड अधिकारी सेड़वा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा जिला बाड़मेर

प्रार्थी		विप्रार्थीगण
1. रामलाल पुत्र कानाराम विश्नोई, निवासी सोमारड़ी, तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर।	बनाम	1. देराम पुत्र धनाराम जाति विश्नोई निवासी पांचरला 2. मूलीदेवी पत्नि भारमल जाति विश्नोई निवासी पीपलीबेरी 3. मोहनलाल पुत्र धन्नाराम जाति विश्नोई निवासी पांचरला 4. सदराम पुत्र धन्नाराम जाति विश्नोई निवासी पांचरला 5. सतबाई पत्नि लोंगाखान 6. सहीदो पत्नि लोंगाखान 7. कबूल पुत्र लतीफ 8. कुरबान पुत्र लतीफ 9. गुलामअली पुत्र लतीफ 10. बरकत पुत्र लतीफ 11. सकुर पुत्र लतीफ 12. मलूका पत्नि लतीफ जाति मुसलमान, निवासी पांचरूला, तहसील सेड़वा, जि.बाड़मेर। 13. आचार पुत्र सुरतान 14. आदम पुत्र सुमरा 15. जूली पत्नि सुरतान 16. रहमान पुत्र सुरतान 17. वली पुत्र सुरतान 18. समी पत्नि सुमरा 19. साजन पुत्र सुमरा जाति कुंभार मुसलमान निवासी पांचरला, तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर 20. कृष्ण कुमार पुत्र नागजी 21. भरताराम पुत्र केशाराम जाति रबारी, निवासी अम्बावा, तहसील सेड़वा, जि बाड़मेर 22. भीखी पत्नि हनुमानराम जाति विश्नोई, नि. सोमराड़ी 23. भीखा पुत्र हाजी जाति मुसलमान, निवासी पांचरला 24. मूलाराम पुत्र महेन्द्रा जाति रबारी, निवासी अम्बावा 25. मूसा पुत्र इब्राहिम जाति मुसलमान, निवासी पांचरला 26. मांसीगाराम पुत्र महन्द्रा जाति रबारी निवासी अम्बावा 27. रमजान पुत्र हाजी जाति मुसलमान, निवासी पांचरला 28. रामाराम पुत्र केशाराम जाति रबारी निवासी अम्बावा 29. लाला पुत्र इब्राहिम जाति मुसलमान, निवासी पांचरला 30. तालब पुत्र हाजी जाति मुसलमान, निवासी पांचरला 31. लीला पत्नि केशाराम जाति रबारी निवासी अम्बावा 32. वीहाराम पुत्र पेमाराम जाति रबारी निवासी पांचरला 33. सकीना पत्नि हाजी जाति मुसलमान, निवासी पांचरला, तह.सेड़वा 34. सुगणी पत्नि हरखाराम जाति जाट, निवासी सोमारड़ी, तह. सेड़वा 35. सेजू पत्नि पेमाराम जाति रबारी, निवासी पांचरला, तह. सेड़वा 36. सदीक पुत्र इब्राहिम जाति मुसलामन, निवासी पांचरला, तह. सेड़वा 37. सिणगारी पत्नि जगराम जाति विश्नोई, निवासी पांचरला तह सेड़वा 38. देवा पुत्र कुम्पा जाति रबारी, निवासी अम्बावा, तहसील सेड़वा 39. धुड़ा पुत्र कुम्पा जाति रबारी, निवासी अम्बावा तहसील सेड़वा 40. नोजी पत्नि मफा जाति रबारी, निवासी अम्बावा तहसील सेड़वा 41. पदमा पुत्र केशाराम जाति रबारी, निवासी अम्बावा, तहसील सेड़वा 42. परमेश्वरी पत्नि बाबुलाल जाति विश्नोई, निवासी पीपलीबेरी 43. प्रहलाद पुत्र महेन्द्रा जाति रबारी निवासी अम्बावा तहसील सेड़वा 44. बच्चू पुत्र इब्राहिम जाति मुसलमान, निवासी पांचरला, तहसील सेड़वा 45. कृष्णराम पुत्र मूलाराम जाति रबारी,निवासी पांचरला, तहसील सेड़वा 46. मेवा पुत्र मूलाराम जाति रबारी, निवासी पांचरला, तहसील सेड़वा 47. वगतू पत्नि माना 48. सांवलाराम पुत्र माना 50. गुणेशाराम पुत्र माना 51. मेघा पुत्र माना 52. हरजीराम पुत्र प्रगाराम 53. सांवलाराम पु प्रगाराम 54. गुणेशाराम पुत्र प्रगाराम के कायम मुकाम 01. नोजी पत्नि गुणेशाराम 2. हरचन्द पुत्र गुणेशाराम 3. भलीया उर्फ भला 55. भगवानाराम पुत्र प्रागाराम 56. चेलाराम पुत्र मूलाराम फौत के कायम 56/1. काकू पत्नि चेलाराम 56/2. रूगनाथ पुत्र चलेराम 56/3. नरपत पुत्र चेलाराम 57. पेलादाराम पुत्र मूलाराम फौत के कायम 57/1. सुगणी पत्नि पेलाद 57/2. रमेश पुत्र पेलादराम 57/3. आम्बाराम पुत्र पेलादराम 58. मफाराम पुत्र मूलाराम जाति रबारी, निवासी पांचरला तहसील सेड़वा 59. झीणी पत्नि मूलाराम जाति रबारी, निवासी पांचरला, तहसील सेड़वा 60. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार सेड़वा, जिला बाड़मेर।

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) सेड़वा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज.भू. राजस्व अधिनियम वास्ते नेखमबंदी बाबत।

राजस्व आवेदन संख्या 66/2024

दिनांक :

आदेश

तहसीलदार सेड़वा को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में **तहसील सेड़वा पटवार क्षेत्र फागलिया भू.अ.नि. क्षेत्र फागलिया के मौजा पांचरला के खेत खसरा संख्या 211/88 रकबा 2.2500 हैक्टर, खसरा संख्या 213/88 रकबा 0.1781 हैक्टर, खसरा संख्या 84 रकबा 4.1116 किस्म बारानी सोयम** के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार सेड़वा को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की पेमाईश आप अपने स्तर पर टीम गठित कर दोनों पक्षों को विधि को विधि सम्मत नोटिस के जरिये सूचित कर यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तथा नेखमबंदी की पालना 15 दिवस में अवश्य पेश करें। नेखमबंदी के दौरान किसी बिन्दु पर किसी प्रकार निर्माण होने की स्थिति में उस बिन्दु पर नेखम स्थापित नहीं किया जावे और उसकी मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश करे। तहसीलदार दोनों पक्षों को नोटिस जारी करने के उपरान्त ही नेखमबंदी की कार्यवाही करेंगें।

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हों। आवश्यकता होने पर संबंधित पुलिस थाना से इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है।

सत्यमेव जयते
सेड़वा

o/c 18/1/24

(विरेन्द्रसिंह भाटी)
उपखण्ड अधिकारी
सेड़वा

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) सेड़वा

क्रमांक/भू.अ./2024/

दिनांक

प्रतिलिपि :– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ–

1. तहसीलदार सेड़वा।
2. प्रार्थी रामलाल पुत्र कानाराम।
3. विप्रार्थीगण देराम पुत्र धना वगैरा।
4. थानाधिकारी पुलिस थाना सेड़वा/बाखासर।

o/c 18/1/24

उपखण्ड अधिकारी
सेड़वा

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) सेड़वा